फाइल सं.: APEDA-TFD/138/2025-TFD-Part (1)

दिनांक: - 30.01.2026

कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात
विकास प्राधिकरण
(एपीडा)
भारत सरकार, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

तीसरी और चौथी मंजिल, एन.सी.यू.आई. बिल्डिंग
सिरी सांस्थानिक क्षेत्र, अगस्त क्रांति मार्ग,
नई दिल्ली -110016

डसेलडोर्फ, जर्मनी में दिनांक 15 से 17 मार्च 2026 तक आयोजित होने वाले "प्रोवाइन 2026" में "इंडिया पवेलियन" के डिज़ाइन, निर्माण-कार्य और रखरखाव हेतु मुहरबंद बोलियाँ आमंत्रित की जाती हैं।

***

1. परिचय:

1.1. कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एपीडा), वाणिज्य विभाग, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार के अंतर्गत कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य उत्पादों के निर्यात संवर्धन हेतु शीर्षस्थ संगठन है।

2. प्रोवाइन 2026 के बारे में:

2.1. प्रोवाइन 2026 वाइन और स्पिरिट्स का अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला है, जो 15-17 मार्च, 2026 को जर्मनी के डसेलडोर्फ में आयोजित किया जाएगा। एपीडा प्रोवाइन 2026 कार्यक्रम में भाग लेगा और भारतीय स्पिरिट्स और वाइन को प्रदर्शित और विपणन करने के लिए इंडिया पवेलियन तैयार करेगा।

3. असाइनमेंट के बारे में:

3.1. एपीडा, उपर्युक्त प्रदर्शनी में 'इंडिया पवेलियन' के डिज़ाइन, निर्माण-कार्य और रखरखाव हेतु इच्छुक एवं प्रतिष्ठित एजेंसियों से बोलियाँ आमंत्रित करता है।

3.2. इवेंट के लिए इंडिया पवेलियन का कुल क्षेत्रफल हॉल संख्या 5 (5C-46) और हॉल संख्या 6 (6K 01) में 120 वर्ग मीटर में बनाया जाएगा। (पवेलियन का लेआउट संलग्न है)।

कार्यक्षेत्र और नियम एवं शर्तें नीचे पैरा 5 से पैरा 7 में दी गई हैं।

4. बोलियाँ प्रस्तुत करने हेतु पात्रता:

वे एजेंसियां, जो **पिछले पांच वित्तीय वर्षों से कार्य में हैं** तथा समान प्लेटफार्म पर समान कार्य के निष्पादन में वांछित अनुभव/विशेषज्ञता के संदर्भ में निम्नलिखित योग्यता मानदंडों को पूरा करती हैं, तथा जिनकी वित्तीय स्थिति उपयुक्त है, वे बोली प्रक्रिया में भाग ले सकती हैं।

क. पात्रता के आकलन हेतु अपेक्षित दस्तावेज:

4.1 एजेंसी का नाम, पता, जीएसटी पंजीकरण संख्या, पैन कार्ड, पिछले पांच वित्तीय वर्षों का टर्नओवर, वांछित क्षेत्र में आयोजित इवेंट्स के नाम और वर्ष जैसे विवरण अनुलग्नक-1 में दिए गए प्रोफार्मा के अनुसार सहायक दस्तावेजों की प्रतियों के साथ उल्लेखित किए जाएंगे।

क्र. सं.	पात्रता मानदंड	अपेक्षित दस्तावेज़
क.1	एजेंसी ने पिछले 5 वर्षों के दौरान भारत के बाहर कम से कम तीन अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम आयोजित किए हों, जिनमें पवेलियन की डिज़ाइन, निर्माण-कार्य और रखरखाव की आवश्यकता हो, तथा जिनका आयोजन टर्नकी आधार पर किया गया हो जिसमें, (क) प्रत्येक इवेंट के लिए पवेलियन का क्षेत्रफल **100 वर्ग मीटर** से कम न हो, और (ख) ऐसे इवेंट्स का वित्तीय मूल्य **प्रति इवेंट** रु. **20,00,000/-** (बीस लाख रुपये) से कम नहीं होना चाहिए।	सीए द्वारा जारी प्रमाणपत्र जिसमें दर्शाया गया हो: (क) एजेंसी के निगमन की तिथि, (ख) पिछले 5 वित्तीय वर्षों का टर्नओवर और (ग) पिछले 5 वित्तीय वर्षों के दौरान निष्पादित इवेंट्स की संख्या, (घ) वर्ष-वार निष्पादित इवेंट्स का विवरण, एक कार्यरत सीए द्वारा हस्ताक्षरित, (यूडीआईएन का उल्लेख करते हुए) और एजेंसी के अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित, जैसा कि **अनुलग्नक-2** में दर्शाया गया है।
क.2	एजेंसी को पिछले 5 वित्तीय वर्षों में से किसी भी तीन वर्षों के दौरान इवेंट मैनेजमेंट बिजनेस (अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेलों में पवेलियन के निर्माण-कार्य, डिज़ाइन और रखरखाव से संबंधित) से 3,00,00,000 रुपये (तीन करोड़ रुपये मात्र) का न्यूनतम कारोबार अर्जित करना चाहिए। कारोबार केवल आवेदक संगठन के नाम पर होना चाहिए, न कि समूह/सहयोगी संगठनों के नाम पर।	
क.3	एजेंसी को किसी भी सरकारी संगठन द्वारा ब्लैक लिस्ट में नहीं डाला गया हो।	**अनुलग्नक 3** के अनुसार एक स्व-घोषणापत्र प्रस्तुत करनी होगी।

ख. प्रसंस्करण शुल्क, ईएमडी और कार्य-निष्पादन प्रतिभूति:

4.3.1 आवेदन सह प्रसंस्करण शुल्क और बयाना जमा राशि (ईएमडी) तकनीकी बोली के साथ निम्नलिखित तरीके से जमा किया जाना चाहिए:

(i) 15,000/- रुपये का गैर-वापसी योग्य आवेदन-सह-प्रसंस्करण शुल्क तथा उस पर 18% जीएसटी (2,700/- रुपये), यानी कुल 17,700/- रुपये (सत्रह हजार सात सौ रुपये) का डिमांड ड्राफ्ट (डीडी), जो "एपीडा" के पक्ष में आहरित और नई दिल्ली में देय हो।

(ii) नई दिल्ली में देय में "एपीडा" के पक्ष में आहरित 5,00,000/- रुपये (पाँच लाख रुपये मात्र) के डीडी के रूप में ब्याज मुक्त बयाना जमा राशि (ईएमडी)। असफल बोलीदाताओं से प्राप्त ईएमडी चयन प्रक्रिया पूर्ण होने के उपरांत वापस कर दी जाएगी। सफल बोलीदाता से प्राप्त ईएमडी का निस्तारण पैरा 4.3.4 के अनुसार किया जाएगा।

4.3.2 एनएसआईसी तथा एमएसएमई पंजीकृत एजेंसियों को ईएमडी जमा करने से छूट शासन के नियमों के अनुसार लागू होगी।

4.3.3 एनएसआईसी और एमएसएमई पंजीकृत संगठनों को शासकीय नियमों के अनुसार, कार्य-निष्पादन प्रतिभूति जमा करने से किसी भी छूट की अनुमति नहीं होगी।

4.3.1 चयनित एजेंसी द्वारा अनुबंध मूल्य के पाँच प्रतिशत (5%) या रुपये 5,00,000/- (रुपये पाँच लाख), जो भी अधिक हो, के बराबर कार्य-निष्पादन प्रतिभूति जमा कराई जाएगी। अतः चयनित एजेंसी से प्राप्त रुपये 5,00,000/- (रुपये पाँच लाख) की ईएमडी राशि को कार्य-निष्पादन प्रतिभूति में समायोजित किया जाएगा। यदि अनुबंध मूल्य का 5% रुपये 5.00 लाख से अधिक होता है, तो सफल एजेंसी को रुपये पाँच लाख से अधिक की अतिरिक्त राशि डिमांड ड्राफ्ट (डीडी) के रूप में जमा करनी होगी। इन दोनों राशियों को सम्मिलित रूप से कार्य-निष्पादन प्रतिभूति माना जाएगा। कार्य-निष्पादन प्रतिभूति

की संपूर्ण राशि सभी अनुबंधीय दायित्वों के पूर्ण होने के पश्चात वापस कर दी जाएगी।

5. कार्यक्षेत्र

5.1 सामान्य दिशानिर्देश

5.1.1 वर्तमान असाइनमेंट **"प्रोवाइन 2026"** में इंडिया पवेलियन के लिए टर्नकी आधार पर डिज़ाइन, निर्माण-कार्य, रखरखाव का कार्य करना है। स्पष्ट समझ के लिए, पूरे बोली दस्तावेज़ को एक साथ पढ़ा जाए, तथा दस्तावेज़ में कहीं और उल्लिखित कर्तव्य भी एजेंसी के कर्तव्यों का हिस्सा होंगे।

5.1.2 **"प्रोवाइन 2026"** में इंडिया पवेलियन का निर्माण-कार्य ड्राइंग/लेआउट में दिए गए विनिर्देशों के अनुसार किया जाएगा जिसमें डिस्प्ले प्रॉप्स/फर्नीचर, लाइट्स, कारपेट, बिजली कनेक्शन, प्रावरणी, मार्ग क्षेत्र की कारपेटिंग, टाइटल ग्राफिक्स आदि शामिल होंगे। ड्राइंग/लेआउट योजना संलग्न है। एजेंसी को संपूर्ण सेटअप का 3डी रेंडर उपलब्ध करना होगा।

5.1.3 कार्य में संयोजन, विखंडन, जल निकासी, सामग्री प्रबंधन, परिवहन, रखरखाव, पवेलियन खोलने से पहले दिन की सफाई और उसके बाद दैनिक अपशिष्ट निपटान से संबंधित सभी गतिविधियां शामिल होंगी।

5.1.1 इंडिया पवेलियन के लिए आरक्षित स्थान पर पवेलियन उपलब्ध कराने और निर्माण-कार्य के लिए निर्धारित तिथि और उससे संबंधित अन्य दिशा-निर्देश आयोजक की वेबसाइट पर उपलब्ध होंगे। पवेलियन/स्टॉलों के निर्माण, स्टॉल की ऊंचाई आदि के संबंध में स्थान प्रदाता प्राधिकरण द्वारा लगाई गई शर्तों/प्रतिबंधों की अग्रिम जानकारी हेतु एजेंसी को **प्रोवाइन 2026** इवेंट साइट का अवलोकन करने की सलाह दी जाती है। हालाँकि, एजेंसी यह सुनिश्चित करेगी कि संपूर्ण "इंडिया पवेलियन" का कार्य सभी मापदंडों पर दिनांक **14 मार्च 2026 को शाम 4.00 बजे (स्थानीय समय)** तक **अनिवार्य रूप से पूर्ण हो जाए।**

5.1.2 इंडिया पवेलियन का डिज़ाइन और विकास, **लकड़ी/ऑक्टोनॉर्म सह मैक्सिमा सामग्री** का उपयोग करके किया जाएगा। कार्य-क्षेत्र में निम्नलिखित सुविधाओं का डिज़ाइन, निर्माण-कार्य और रखरखाव शामिल होगा:

- **(i)** थीम / सामान्य क्षेत्र (प्रदर्शक स्टॉलों को छोड़कर)
- **(ii)** प्रदर्शक स्टॉल
- **(iii)** वेट सैम्पलिंग एरिया
- **(iv)** भारत / इंडिया की ब्रांडिंग
- **(v)** अन्य गतिविधियाँ/कर्तव्य

5.2 थीम/सामान्य क्षेत्र हेतु विनिर्देश

5.2.1 थीम क्षेत्र जिसका माप लगभग **36** वर्ग मीटर है, को उत्थापित लकड़ी के फर्श से अलग रखा जाना चाहिए। प्रदर्शनी में भारतीय मादक पेय ब्रांडों के सुरुचिपूर्ण प्रदर्शन के साथ-साथ एक संचालित बार की भी व्यवस्था होनी चाहिए।

5.2.2 थीम क्षेत्र को दीवार से दीवार तक (वॉल-टू-वॉल) नए कालीन से ढकना चाहिए।

5.2.3 एक बैठक लाउंज स्थापित किया जाना चाहिए, जिसमें 8 व्यक्तियों के बैठने की क्षमता हो और जो काँच, ऐक्रेलिक अथवा लाइक्रा सामग्री से ढका हुआ हो।

5.2.4 रिसेप्शन क्षेत्र में काँच, ऐक्रेलिक अथवा लाइक्रा सामग्री के बैकलिट कोलाज का एक बैकड्रोप होनी चाहिए और इसे निम्नलिखित फर्नीचर वस्तुओं से सुसज्जित किया जाना चाहिए:

- **(i)** दोनों ओर ताला लगाने योग्य काउंटरों के साथ दो विशेष रूप से निर्मित (कस्टम-बिल्ट) स्वागत डेस्क, जिन पर

एपीडा के लोगो प्रदर्शित हों तथा जिनमें दो व्यक्तियों के बैठने की व्यवस्था हो,

(ii) भारतीय कृषि-उत्पादों के प्रदर्शन हेतु पूर्ण आकार के दो ताला लगाने योग्य काँच के शोकेस,

(iii) विवरणिका (ब्रोशर), प्रदर्शक निर्देशिका आदि के प्रदर्शन हेतु स्टैंड।

5.2.5 एपीडा प्रदर्शकों के प्रचारात्मक वीडियो प्रदर्शित करने हेतु 3×2 मीटर आकार की एक बड़ी एलईडी वीडियो वॉल, जो स्पष्ट रूप से दिखाई दे।

5.2.6 पैंट्री सहित एक भंडारण क्षेत्र का निर्माण किया जाएगा, जिसमें पीने के पानी, चाय/कॉफी, माइक्रोवेव ओवन, इलेक्ट्रिक केतली और रेफ्रिजरेटर की व्यवस्था होगी। इसके साथ ही, सभी चार दिनों के लिए आगंतुकों हेतु स्नैक्स, कुकीज़, काजू, पीने का पानी, जूस, चाय, ग्रीन टी, कॉफी आदि की पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित की जाएगी।

5.2.7 एजेंसी फर्नीचर वस्तुओं की आवश्यकता का आकलन करेगी और तदनुसार प्रदर्शक स्टाल सहित व्यवस्था करेगी।

5.2.8 पवेलियन में टेस्टिंग बार (आस्वादन केंद्र) / प्रतिचयन (सैंपलिंग) काउंटर, बैठक हेतु मेज एवं कुर्सियाँ, प्रशीतन/वाइन चिलर, कांच के बर्तन, थूकदान तथा जल वितरक की व्यवस्था की जाएगी।

5.2.9 सामान्य क्षेत्र में बैक-लिट ग्राफिक्स पैनल उपलब्ध कराए जाएंगे।

5.2.10 प्रदर्शक स्टॉल सहित पूरे पवेलियन को पर्याप्त श्वेत रोशनी से रोशन किया जाएगा, ताकि पूरे पवेलियन में कहीं भी अंधेरा या डार्क पॉकेट न रहे।

5.2.11 **प्रोवाइन 2026** में प्रदर्शित किए जाने वाले उत्पाद एपीडा द्वारा उपलब्ध कराए जाएंगे। एजेंसी इन्हें एपीडा के दिल्ली कार्यालय से (डसेलडोर्फ, जर्मनी) में एपीडा पवेलियन तक लाने के लिए एपीडा अधिकारियों के साथ समन्वय करना सुनिश्चित करेगी। माल ढुलाई और सीमा शुल्क की लागत वास्तविक के रूप में प्रतिपूर्ति की जाएगी। यह स्पष्ट किया जाता है कि चयनित संगठन लागत की प्रतिपूर्ति प्राप्त करने के लिए ऐसी सामग्री की मात्रा और वजन से संबंधित उचित रिकॉर्ड रखना सुनिश्चित करेगा। प्रदर्शन के लिए उत्पादों में खाने के लिए तैयार भोजन/कढ़ी, ताजे और जमे हुए फल और तथा उनसे बने हुए उत्पाद आदि शामिल होंगे।

5.2.12 चूँकि यह मादक पेय पदार्थों के प्रचार हेतु एक अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी है, अतः प्रदर्शन एवं प्रचार गतिविधियों को तदनुसार संरेखित किया जाना चाहिए।

5.2.13 भारतीय मादक पेय ब्रांडों पर मास्टर क्राफ्ट सत्रों के आयोजन हेतु क्षेत्र होना चाहिए।

5.2.14 दृश्य तत्वों में भारतीय वाइन, व्हिस्की, जिन, रम, वोडका, फ्रूट वाइन, भौगोलिक संकेतक (जीआई) तथा संधारणीयता संबंधी संदेशों आदि का समावेश होना चाहिए।

5.3 प्रदर्शक स्टॉल के लिए विनिर्देश

5.3.1 एजेंसी द्वारा अधिकतम संख्या में स्टॉल का निर्माण किया जाएगा, जिनमें से प्रत्येक स्टॉल का क्षेत्रफल 9 वर्ग मीटर होगा। लेआउट इस प्रकार से तैयार किया जाना चाहिए कि अधिकतम संख्या में स्टॉल 9 वर्ग मीटर के हों, ताकि स्थान का अधिकतम उपयोग हो सके। **स्टॉलों** की संख्या और आकार के संबंध में अंतिम निर्णय एपीडा का होगा।

5.3.2 एजेंसी प्रत्येक 9 वर्ग मीटर के स्टॉल में, संबंधित प्रदर्शकों से प्राप्त टीपी/डिज़ाइन के अनुसार, दीवार के लिए 1 मीटर (चौड़ाई) × 2.5 मीटर (ऊँचाई) आकार के एज-टू-एज ग्राफिक्स वाले 3 पैनल पोस्टर, अथवा बैकवॉल एवं पार्टीशन वॉल हेतु 3 मीटर (चौड़ाई) × 2.5 मीटर (ऊँचाई) आकार का एकल पैनल पोस्टर तैयार करेगी। एजेंसी द्वारा तैयार किए

जाने वाले सभी पैनल एवं पोस्टर आयाम में समान होंगे तथा उनकी मुद्रण गुणवत्ता अंतर्राष्ट्रीय स्तर की होगी।

5.3.3 एजेंसी बिना किसी अतिरिक्त लागत के प्रदर्शकों द्वारा प्रदान किए गए डिज़ाइन के अनुसार पोस्टरों की मुद्रण, आपूर्ति और चिपकाना सुनिश्चित करेगी।

5.3.4 एजेंसी यह सुनिश्चित करेगी कि पूरे पवेलियन में **ब्रांड भारत (इंडिया) का प्रचार-प्रसार जर्मन और हिंदी** में किया जाए और यह आयोजकों द्वारा अनुमेय अधिकतम ऊंचाई तक होना चाहिए।

5.3.5 समस्त वैयक्तिक स्टॉल **ऑक्टोनॉर्म / मैक्सिमा** पद्धति से निर्मित होने चाहिए तथा उन्हें आधुनिक, समकालीन एवं सुरुचिपूर्ण स्वरूप दिया जाना चाहिए। स्टॉलों की रूपरेखा (डिज़ाइन) इस प्रकार तैयार की जानी चाहिए जिससे प्रदर्शक अपने उत्पादों का प्रदर्शन प्रमुखता से कर सकें तथा संभावित क्रेताओं/आगंतुकों के साथ उनका संवाद सुगम हो सके। 9 वर्ग मीटर के प्रत्येक वैयक्तिक स्टॉल में सुविधाएं प्रदान की जानी चाहिए: (i) दीवार से दीवार तक उचित रूप से बिछाया गया नया कालीन, (ii) बैकलिट वैयक्तिक प्रावरणी, (iii) 4 कुर्सियाँ, (iv) 1 गोल मेज, (v) 1 बेकार कागज की टोकरी, (vi) 6 डिस्प्ले शेल्व्स, (vii) 1 भंडारण सहित ताला लगाने योग्य काउंटर, (viii) कम से कम 1 पावर प्वाइंट सॉकेट, (ix) प्रत्येक 100 वाट की 6 लाइटें, (x) बोतलों को प्रदर्शित करने के लिए शेल्फ।

5.3.6 प्रदर्शकों की रसद, प्रतिचयन, अवसंरचना और खरीदार समन्वय से संबंधित चिंताओं के समाधान के लिए एक समर्पित निर्यातक सहायता केंद्र स्थापित की जाएगी।

5.3.7 दैनिक आपूर्ति सहायता प्रदान करने के लिए सुरक्षित और ताला लगाने योग्य नमूना भंडारण की व्यवस्था की जाएगी।

5.4 वेट सैम्पलिंग हेतु विनिर्देश

5.4.1 इंडिया पवेलियन में थीम पवेलियन के भीतर एक वेट सैम्पलिंग क्षेत्र होगा।

5.4.2 इस क्षेत्र को समकालीन भारतीय थीम वाले कैफे के रूप में विकसित किया जाएगा, जिसमें आगंतुकों के लिए वाइन का स्वाद परीक्षण के लिए जगह होगी।

5.4.3 कैफ़े क्षेत्र में एक प्रतिष्ठित विशेषज्ञ की नियुक्ति की जाएगी, जो अपने सहायकों के साथ मौके पर ही भारतीय वाइन का स्वाद परीक्षण एवं नमूना प्रतिचयन (टेस्टिंग एवं सैम्पलिंग) कराएगा।

5.4.4 एजेंसी को परिवहन, वितरण, बर्तनों, व्यंजनों की तैयारी और परोसने के लिए उचित व्यवस्था करनी होगी।

5.4.5 एपीडा के बैनर तले विशेष मास्टरक्लास का आयोजन:

- मास्टरक्लास के थीमों (विषयों) का चयन
- अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञों/वक्ताओं की पहचान।
- स्वाद परीक्षण की व्यवस्था और प्रस्तुति का समन्वय।

रसद सहायता: -

- एवी सेटअप (स्क्रीन, माइक, प्रोजेक्टर)
- स्वाद परीक्षण हेतु गिलास (टेस्टिंग ग्लास), नमूना बोतलें
- सत्र की ब्रांडिंग एवं आमंत्रण

5.4.6 वेट सैम्पलिंग एरिया में उपयोग की जाने वाली सामग्री के लिए अलग से राशि का भुगतान नहीं किया जाएगा।

5.5 ब्रांडिंग "भारत (इंडिया)" और एपीडा

5.5.1 "भारत (इंडिया) पवेलियन" का समग्र स्वरूप समकालीन और सुरुचिपूर्ण होना चाहिए तथा आधुनिक भारत के रंग और जीवंतता को दर्शाता हो और एक पेशेवर बारटेंडर के साथ एक संचालित बार होना चाहिए।

5.5.2 एजेंसी विभिन्न प्रमुख दृश्य स्थानों पर **जर्मन, अंग्रेजी और हिंदी** भाषाओं में "भारत (इंडिया)" शीर्षक दर्शाने वाले अग्रभाग बोर्ड/ग्राफिक्स बनाने और लगाने का कार्य सुनिश्चित करेगी।

5.5.3 (i) **भारत (इंडिया)** (अंग्रेजी, हिंदी और जर्मन में) और **एपीडा** लोगो की उपयुक्त **बैकलिट ब्रांडिंग (उच्च-रिजल्यूशन विज़ुअल)** पर्याप्त संख्या में उपलब्ध कराई जानी चाहिए। इसकी लंबाई 3 मीटर और आयोजक के दिशानिर्देशों के अनुसार अधिकतम अनुमेय ऊंचाई होनी चाहिए। ब्रांडिंग का आकार आयोजकों के दिशानिर्देशों के अनुसार अनुमत आकार से छोटा नहीं होना चाहिए।

(ii)एजेंसी, एपीडा थीम पवेलियन/सामान्य क्षेत्र के आस-पास एक प्रमुख स्थान पर, जहाँ उत्तम दृश्यता हो, 3 x 2 मीटर आकार की कम से कम 1 एलईडी स्क्रीन लगाने की व्यवस्था करेगी।

(iii) **एजेंसी आगंतुकों को वितरण हेतु 'भारत/इंडिया' ब्रांडेड निम्नलिखित मर्चेंडाइज की व्यवस्था करेगी। इसका डिज़ाइन एपीडा से अनुमोदित कराना होगा:**

(क) लैपल पिन-100

(ख) कोई अन्य नवोन्मेषी वस्तु।

5.5.4 एजेंसी निम्नलिखित अवसरों के लिए सभी दिनों के लिए वास्तविक समय के आधार पर तस्वीरें लेने और उन्हें सोशल मीडिया एजेंसी को अग्रेषित करने हेतु एक अच्छे फोटोग्राफर की व्यवस्था करेगी:

(i) उद्घाटन समारोह की तस्वीरें जिनमें सभी गणमान्य व्यक्ति स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहे हों

(ii) थीम क्षेत्र की तस्वीरें (जनसमूह के साथ संवाद सहित)

(iii) निर्यातक स्टॉल की तस्वीरें

(iv) वेट सैंपलिंग क्षेत्र की तस्वीरें

(v) तकनीकी सत्र / समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर / अन्य कार्यक्रम (जैसा लागू हो) ।

5.5.5 एजेंसी निम्नलिखित अवसरों के लिए, वास्तविक समय के आधार पर प्रशंसात्मक वीडियो रिकॉर्ड करने और सोशल मीडिया एजेंसी को संप्रेषित करने हेतु एक अच्छे वीडियोग्राफर की व्यवस्था करेगी:

(क) गणमान्य व्यक्तियों का -- (3 वीडियो)

(ख) निर्यातकों का - (एपीडा के निर्यातकों/प्रदर्शकों को दर्शाते हुए सभी निर्यातकों के वीडियो, जिनमें स्टॉल पर सर्वश्रेष्ठ ब्रांडिंग/डिस्प्ले अथवा आकर्षक एपीडा अनुसूचित उत्पादों को प्रमुखता से दिखाया जाए, तथा संपूर्ण पवेलियन क्षेत्र को विभिन्न कोणों से कवर किया जाए।)

(ग) साझेदार (3 वीडियो)

(घ) प्रतिदिन 90-120 सेकंड की अवधि के 5 लघु वीडियो (इंस्टाग्राम के लिए 9:16 ऑस्पेक्ट रेशियो और यूट्यूब के लिए 16:9 (1920 x 1080 पिक्सल रिजल्यूशन या बेहतर))

5.5.6 एजेंसी वास्तविक समय के आधार पर एपीडा और संलग्न सोशल मीडिया एजेंसी को सम्पूर्ण सामग्री- रॉ फोटो और वीडियो, क्रिएटिव्स, जीआईएफ, इन्फोग्राफिक्स, और कच्चे फोटो और वीडियो पर आधारित अन्य डिजिटल एसेट्स साझा करेगी।

5.5.7 कार्यक्रम आयोजक द्वारा प्रदान किए गए सभी ब्रांडिंग प्रावधानों की अधिप्राप्ति का समन्वय एपीडा की ओर से एजेंसी द्वारा किया जाएगा।

5.5.8 **प्रोवाइन 2026 में एपीडा हेतु प्रभावशाली व्यक्ति (इन्फ्लुएंसर) का नियोजन**

- खाद्य एवं पेय (फूड एंड बेवरेज) उद्योग के विशेषज्ञों, हस्तियों और प्रतिष्ठित व्यक्तियों सहित दो विख्यात इन्फ्लुएंसर्स (प्रभावकों) को नियोजित किया जाएगा, जिनकी आयु प्राथमिकता के आधार पर 18-45 वर्ष के मध्य हो और जो भारत की विविधता का प्रतिनिधित्व करते हों। इसका मुख्य उद्देश्य प्रभावी एवं सशक्त डिजिटल कथाकारिता के माध्यम से युवाओं, महिला उद्यमियों और खाद्य शोधकर्ताओं को जोड़ना है, ताकि एपीडा की पहुंच (आउटरीच) का विस्तार किया जा सके।
- **पात्रता मानदंड:**
  (क) यूट्यूब, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन और/या फेसबुक पर न्यूनतम 5 लाख (500K+) फॉलोअर्स होने चाहिए।
  (ख) मादक पेय पदार्थों और खाद्य पदार्थों के क्षेत्र में सशक्त उपस्थिति होनी चाहिए।
  (ग) एजेंसी द्वारा साझा किए गए जनसांख्यिकीय विश्लेषण के आधार पर ड्यू डिलिजेंस तथा डिजिटल मीडिया उपस्थिति सुनिश्चित की जानी चाहिए।

प्रदेय:
(क) इवेंट के प्रत्येक दिन हेतु 90-120 सेकंड की अवधि के 5 लघु वीडियो/रील्स (इंस्टाग्राम के लिए 9:16 ऑस्पेक्ट रेशियो तथा यूट्यूब के लिए 16:9 (1920 x 1080 पिक्सेल रिजल्यूशन या उससे उच्च))।
(ख) 60-90 सेकंड की अवधि वाले 3-5 प्रशंसात्मक वीडियो, जो स्टॉलों पर सर्वश्रेष्ठ ब्रांडिंग/प्रदर्शन करने वाले एपीडा के निर्यातकों/प्रदर्शकों अथवा एपीडा के आकर्षक अनुसूचित उत्पादों को विशिष्ट रूप से दर्शाते हों।
(ग) 3–5 सोशल मीडिया पोस्ट (स्टेटिक/वीडियो/जिफ/एनिमेटेड क्रिएटिव्स) ।

5.5.9 एजेंसी द्वारा कार्यक्रम-पश्चात एक विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत की जाएगी, जिसमें निम्नलिखित विवरण सम्मिलित होंगे:
आगंतुकों की संख्या और आयोजित बी2बी बैठकें
डिजिटल पहुंच और सहभागिता विश्लेषण
एचडी फोटोग्राफिक और वीडियो दस्तावेज़ीकरण

5.6 <u>अन्य गतिविधियाँ/कर्तव्य:</u>

5.6.1 एजेंसी को अनुमानित विद्युत भार का आकलन करना होगा तथा एपीडा की ओर से इसकी बुकिंग सुनिश्चित करनी होगी।

5.6.2 एजेंसी को विद्युत आपूर्ति एवं मुख्य विद्युत कनेक्शन, जलापूर्ति तथा अन्य सहायक प्रणालियों आदि के संबंध में आयोजक के दिशा-निर्देशों/निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करना होगा।

5.6.3 एजेंसी को 2 महिला परिचारक-सह-दुभाषियों तथा 2 पुरुष परिचारकों की व्यवस्था करनी होगी जो इवेंट के सभी दिनों के लिए पवेलियन में उपस्थित रहेंगे।

5.6.4 एजेंसी को अतिविशिष्ट (वीवीआईपी) अतिथियों के लिए प्रत्येक दिन 05 (पाँच) गुलदस्तों और जलपान की व्यवस्था करनी होगी।

5.6.5 **एजेंसी को मीडिया वॉल/सेल्फी ज़ोन (वाइन से प्रेरित प्रॉप्स और हैशटैग युक्त मुद्रित बैकड्रॉप के साथ) का प्रावधान करना होगा, और इसमें पर्याप्त जनशक्ति, सामग्री और उपकरणों की व्यवस्था शामिल होगी।**

5.6.6 एजेंसी को एपीडा पवेलियन में आने वाले गणमान्य व्यक्तियों के लिए भारत (इंडिया) ब्रांडिंग वाले 4,000/- रुपये तक के मूल्य वर्ग के दस कॉर्पोरेट उपहारों की व्यवस्था करनी होगी। इसका बिल साक्ष्य के रूप में एपीडा को प्रस्तुत करना होगा।

5.6.7 एजेंसी को इवेंट के सभी दिनों में लगभग 6 (छह) व्यक्तियों के लिए अच्छी गुणवत्ता वाले शाकाहारी/मांसाहारी डिब्बा

बंद दोपहर के भोजन की समुचित व्यवस्था भी करनी होगी।

5.6.8 एजेंसी को निम्नलिखित दस्तावेजों को तैयार करने और उनके मुद्रण का प्रावधान करना होगा, जो **क्यूआर कोड आधारित तथा मोबाइल पर डाउनलोड करने योग्य हों:**

(क) **प्रोवाइन 2026** के भागीदारों के विवरण युक्त प्रदर्शक निर्देशिका (अंग्रेजी में) (आकार: लगभग 6x8 इंच) की **100** प्रतियां (जिनमें से 10 प्रतियां बिलों के साथ एपीडा कार्यालय में प्रस्तुत करनी होंगी) ।

(ख) एपीडा के भारतीय मादक पेय पदार्थों विवरणिका (ब्रोशर) (अंग्रेजी में) (आकार 7 इंच x 9.5 इंच) की 500 प्रतियां।

5.6.9 एजेंसी को प्रदर्शनी के प्रत्येक दिन की गतिविधियों के आरंभ होने से पर्याप्त समय पूर्व, संपूर्ण पवेलियन के समुचित रखरखाव और नियमित सफाई की व्यवस्था करनी होगी।

5.6.10 एजेंसी को इंडिया पवेलियन के भीतर और आसपास अग्नि रोकथाम तथा अग्निशमन की पूर्ण व्यवस्था सुनिश्चित करनी होगी।

5.6.11 एजेंसी को संस्था द्वारा उपलब्ध कराई गई सुविधाओं के संबंध में प्रदर्शकों की चिंताओं/समस्याओं के निवारण हेतु उचित व्यवस्था करनी होगी।

5.6.12 एजेंसी को यह व्यवस्था सुनिश्चित करनी होगी कि पवेलियन के निर्माण-कार्य, रखरखाव तथा इवेंट के समापन तक कार्यक्रम के समन्वय हेतु उपयुक्त जनशक्ति स्थल पर उपस्थित रहे।

5.6.13 एजेंसी को प्रदर्शनी आयोजक/स्थल स्वामी के दिशा-निर्देशों के अनुसार इवेंट के समापन के बाद सभी फर्नीचर, फिक्स्चर और अन्य सामग्री को हटाने के बाद पवेलियन स्थल का खाली और साफ किया हुआ मेला आयोजक को कब्जा सौंपने की व्यवस्था करनी होगी।

5.6.14 नमूना समन्वय और लॉजिस्टिक्स सहायता:-

- भाग लेने वाले निर्यातकों से नमूनों का समेकन
- यूरोपीय संघ/प्रोवाइन मानदंडों के अनुसार लेबलिंग
- माल अग्रेषणकर्ताओं के साथ समन्वय (यदि आवश्यक हो)
- स्थल पर नमूनों की देखरेख
- नमूनों का भंडारण
- स्वाद परीक्षण के काउंटरों पर दैनिक आपूर्ति
- मदिरा प्रबंधन नियमों का अनुपालन
- समन्वय और स्थल पर प्रबंधन
- प्रोवाइन आयोजकों के साथ समन्वय
- एपीडा और प्रदर्शकों के साथ संपर्क
- स्थल पर सेवाएं:
- स्थापना और विघटन का पर्यवेक्षण
- दैनिक स्टॉल प्रबंधन सहायता
- प्रदर्शनी के दिनों में समस्याओं का समाधान

5.7 <u>सुनियोजित "इंडिया स्पिरिट्स जर्नी" अनुभव</u>

5.7.1 एजेंसी "इंडिया स्पिरिट्स जर्नी" नामक एक सुनियोजित आगंतुक अनुभव की अवधारणा तैयार करेगी और उसे लागू करेगी,

जिसमें भारतीय वाइन, व्हिस्की, जिन, रम, फेनी, फ्रूट वाइन और क्राफ्ट स्पिरिट्स को प्रदर्शित किया जाएगा।

5.7.2 इस अनुभव में व्यवस्थित टेस्टिंग ट्रेल्स (स्वाद परीक्षण के मार्ग), उत्पादों की कथाकारिता (स्टोरीटेलिंग), और क्यूआर-कोड सक्षम टेस्टिंग कार्ड्स शामिल होंगे, जिनमें उत्पाद की उत्पत्ति, सामग्री, जीआई टैग स्थिति, स्थिरता (सस्टेनेबिलिटी) के पहलू और निर्यातक का विवरण होगा।

5.7.3 एजेंसी एपीडा के अधिकारियों के साथ उचित समन्वय करके, निर्धारित अंतराल पर दैनिक मार्गदर्शन के साथ स्वाद परीक्षण (गाइडेड टेस्टिंग) सुनिश्चित करेगी।

5.8 सिग्नेचर "इंडिया डिस्कवरी बार"

5.8.1 एजेंसी सुनियोजित स्वाद परीक्षण (क्यूरेटेड टेस्टिंग) के लिए पवेलियन के भीतर केंद्रीय रूप से स्थित एक सिग्नेचर इंडिया डिस्कवरी बार तैयार करेगी।

5.8.2 इस बार में प्रतिदिन थीम आधारित वाइन स्वाद परीक्षण के कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे, जैसे कि "स्पिरिट/व्हिस्की/वाइन स्पिरिट/व्हिस्की/वाइन ऑफ द डे", जिनमें चुनिंदा भारतीय वाइन और स्पिरिट शामिल होंगी।

5.8.3 वाइन स्वाद परीक्षण का कार्यक्रम एलईडी स्क्रीन पर प्रदर्शित किया जाएगा और ऑन-साइट घोषणाओं और डिजिटल मीडिया के माध्यम से प्रचारित किया जाएगा।

5.9 मास्टरक्लास और ज्ञान सत्र (नॉलेज सेशन)

5.9.1 एजेंसी भारतीय सिंगल माल्ट, क्राफ्ट जिन, उभरते भारतीय वाइन क्षेत्र और स्वदेशी स्पिरिट जैसे विषयों पर प्रतिदिन कम से कम एक मास्टरक्लास/सत्र (30-40 मिनट) आयोजित करेगी।

5.9.2 इन सत्रों के संचालन या मॉडरेशन के लिए अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञों, सोमेलियर या उद्योग के पेशेवरों को नियुक्त किया जाएगा, जो एपीडा के अनुमोदन के अधीन होगा।

5.9.3 आवश्यक एवी सेटअप, ब्रांडिंग, स्वाद परीक्षण की व्यवस्था और सत्र समन्वय बिना किसी अतिरिक्त लागत के शामिल होंगे।

6 अन्य निर्देश- सामान्य

6.1 एजेंसी को उनकी वेबसाइट पर उपलब्ध प्रोवाइन 2026 के दिशानिर्देशों/विनियमों का पालन करना होगा।

6.2 एजेंसी को स्थल के उपयोग और योजनाओं आदि के अनुमोदन के लिए संबंधित प्राधिकारियों को आवश्यक दस्तावेज और आवेदन प्रपत्र समय पर प्रस्तुत करना सुनिश्चित करना होगा।

6.3 एजेंसी मुख्य बिजली/बिजली कनेक्शन प्राप्त करने और प्रदर्शनी अवधि के दौरान "इंडिया पवेलियन" में प्रत्येक बिंदु/स्टॉल पर बिजली आपूर्ति के दोषरहित वितरण की व्यवस्था करने के लिए जिम्मेदार होगी। एजेंसी अनुमानित बिजली भार का उपयोग करेगी और एपीडा की ओर से और उसके परामर्श से बुक करेगी। बिजली आपूर्ति प्राप्त करने के लिए एजेंसी द्वारा भुगतान की गई वास्तविक लागत की प्रतिपूर्ति एपीडा द्वारा की जाएगी। ऐसे खर्चों की प्रतिपूर्ति आयोजक बिलों और एजेंसी द्वारा आयोजक इकाई को भुगतान के प्रमाण प्रस्तुत करने पर इवेंट के लिए एजेंसी के बिल के समाशोधन के समय की जाएगी।

6.4 हालांकि, प्रदर्शकों को निर्धारित सीमा से अधिक अतिरिक्त बिजली आपूर्ति एजेंसी द्वारा प्रदर्शकों द्वारा स्वयं भुगतान किए जाने पर ही की जाएगी। प्रदर्शकों से ऐसे शुल्कों की वसूली के लिए एजेंसी स्वयं जिम्मेदार होगी। एपीडा किसी भी अतिरिक्त बिजली भार के लिए भुगतान नहीं करेगा।

6.6 एजेंसी एपीडा द्वारा अंतिम रूप दिए गए रंग के अनुसार पूरे इंडिया पवेलियन के लिए नए खरीदे गए कालीनों की व्यवस्था करेगी।

6.7 एजेंसी निर्माण के लिए उच्च गुणवत्ता वाली सामग्री का उपयोग करेगी और साथ ही वॉल पैनल, फर्नीचर, प्रदर्शन सहायक सामग्री आदि बनाने के लिए योग्य कारीगरों को नियुक्त करेगी।

6.8 एजेंसी को दैनिक आधार पर इंडिया पवेलियन की सफाई की व्यवस्था करनी होगी तथा पूरे दिन सफाई बनाए रखनी होगी।

6.9 एजेंसी को प्रदर्शनी/मेले के समापन के बाद आयोजन स्थल पर कोई भी कबाड़, बचा हुआ भोजन, कचरा आदि न छोड़ने की व्यवस्था करनी होगी तथा पूरी तरह से साफ और स्वच्छ स्थान को संबंधित मेला प्राधिकरण को सौंपना होगा।

6.10 एजेंसी को कार्यक्रम स्थल खाली करने और अनुमोदित एजेंसी को सौंपने से पहले प्रदर्शनी आयोजकों और अन्य विक्रेताओं से संबंधित सभी बकाया राशि के निपटान और/या भुगतान की व्यवस्था करनी होगी।

<u>अन्य निर्देश – तकनीकी</u>

6.11 यह एजेंसी की जिम्मेदारी होगी कि वह इंडिया पवेलियन की 3डी छवियां / प्रेजेंटेशन (हार्ड और सॉफ्ट कॉपी दोनों) प्रदान करे, जिसमें विभिन्न कोणों से "इंडिया पवेलियन" का पूरा प्रक्षेपण स्पष्ट रूप से दिखाई दे। इसमें संपूर्ण डिस्प्ले सहायक उपकरण और फर्नीचर के साथ सभी आकार के बूथ का संपूर्ण 3डी रूप भी दिखना चाहिए। प्रेजेंटेशन में ग्राफिक्स आदि भी विस्तार से दिखना चाहिए।

6.12 एजेंसी द्वारा उपयोग की जाने वाली सामग्री जैसे वॉल पैनल, लकड़ी की सामग्री, फर्नीचर, डिस्प्ले सहायक सामग्री आदि उपयुक्त गुणवत्ता की होनी चाहिए। इसके अतिरिक्त, प्रदान किए जाने वाले फर्नीचर की तस्वीरें तकनीकी समिति के समक्ष प्रस्तुति के समय दिखाई जाएंगी, प्रस्तुत की जाएंगी और विधिवत अनुमोदित की जाएंगी।

7 नियम और शर्तें

7.1 एजेंसी एपीडा के दिशा-निर्देशों एवं मार्गदर्शन के अंतर्गत कार्य करेगी। यह सुनिश्चित करना एजेंसी की एकमात्र जिम्मेदारी होगी कि एपीडा के लिए उनके द्वारा की गई सभी गतिविधियां कानूनी ढांचे के अनुसार हों।

7.2 एपीडा की अपेक्षा है कि इस अनुबंध के अंतर्गत चयनित एजेंसी, अनुबंध की अवधि के दौरान नैतिकता के उच्चतम मानक का पालन करे।

7.3 एपीडा कार्य प्रदान करने के प्रस्ताव को अस्वीकार कर देगा यदि यह निर्धारित किया जाता है कि प्रस्ताव के लिए अनुशंसित एजेंसी अनुबंध के लिए प्रतिस्पर्धा में भ्रष्ट या धोखाधड़ी प्रथाओं में लिप्त है।

7.4 एपीडा के पास निम्न अधिकार सुरक्षित है:

(i) पवेलियन और ग्राफिक्स के डिज़ाइनिंग के कॉपी राइट पर स्वामित्व।

(ii) किसी भी स्तर पर डिज़ाइन योजना में बदलाव करना।

(iii) आवेदन/बोली दस्तावेज़ जमा करने की समय सीमा बढ़ाना।

(iv) बिना कोई कारण बताए और एपीडा पर किसी भी दायित्व के बिना, अनुबंध/आदेश देने से पहले किसी भी समय किसी भी प्रस्ताव को स्वीकार या अस्वीकार करना।

(v) परियोजना को स्थगित करना, चयनित पार्टी के साथ अनुबंध को आंशिक रूप से या पूर्ण रूप से किसी भी समय रद्द करना यदि एपीडा की राय में यह जनहित में आवश्यक या समीचीन है। इस संबंध में एपीडा का निर्णय अंतिम और बाध्यकारी होगा। एपीडा उपरोक्त कार्रवाई से हुई या उत्पन्न किसी भी क्षति या हानि के लिए भी जिम्मेदार नहीं होगा।

(vi) अनुबंध के नियमों और शर्तों को संशोधित करना जो सफल बोलीदाता को बोली प्रक्रिया के बाद प्रदान किया जाएगा, यदि एपीडा की राय में, सार्वजनिक हित में या परियोजना के उचित कार्यान्वयन के लिए ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है। इस संबंध में एपीडा का निर्णय अंतिम और बाध्यकारी होगा।

7.5 इस दस्तावेज़ के किसी भी खंड की व्याख्या के लिए एपीडा का निर्णय अंतिम और बोलीदाता के लिए बाध्यकारी होगा।

8 चयन प्रक्रिया

8.1 चयन प्रक्रिया में बोली-पूर्व बैठक, प्राप्त बोली दस्तावेजों का मूल्यांकन, चयन समिति के समक्ष बोलीदाताओं द्वारा प्रस्तुतिकरण तथा दस्तावेजों और प्रस्तुतिकरण के अंकों के आधार पर बोलीदाताओं की अंक-पत्रिका तैयार करने के लिए वित्तीय बोलियों को खोलना शामिल है।

8.2 बोली-पूर्व बैठक के विवरण एपीडा की वेबसाइट पर पोस्ट किए जाएंगे। बोलीदाताओं को सलाह दी जाती है कि वे अपनी बोली प्रस्तुत करने के लिए बोली-पूर्व बैठक के विवरण की प्रतीक्षा करें।

8.3 **बोलियों का मूल्यांकन**:

8.3.1 एपीडा की एक समिति प्राप्त दस्तावेजों की **प्रारंभिक जांच** करेगी और निर्धारित पात्रता मानदंडों को पूरा करने वाली बोलीदाता एजेंसियों को शॉर्टलिस्ट करेगी। शॉर्टलिस्ट की गई एजेंसियों को चयन समिति के समक्ष तकनीकी प्रस्तुति देनी होगी।

8.3.2 **बोलियों का मूल्यांकन** दो चरणों में किया जाएगा – पहला, तकनीकी मूल्यांकन, और दूसरा, वित्तीय बोली खोलना।

8.3.3 बोलियों के तकनीकी मूल्यांकन के लिए, एपीडा द्वारा निर्दिष्ट तिथि और समय पर बोलीदाताओं या उनके अधिकृत प्रतिनिधियों की उपस्थिति में चयन समिति के समक्ष एक प्रस्तुति आयोजित की जाएगी।

8.3.4 प्रस्तुति के अंक निम्नलिखित क्षेत्रों में साख (योग्यता) के लिए दिए जाएंगे:

सं.	**क्षेत्र**	**अधिकतम अंक**
(i)	अवधारणा और डिज़ाइन।	**30**
(ii)	पवेलियन एवं प्रदर्शक स्टॉल के संदर्भ में डिज़ाइन की समग्र सौंदर्यात्मक गुणवत्ता, पवेलियन तथा प्रदर्शनी क्षेत्र हेतु नवोन्मेषी अवधारणाएँ, एवं आगंतुक सहभागिता को बढ़ाने के लिए प्रस्तावित उपायों का मूल्यांकन किया जाएगा। तकनीकी नवाचारों एवं नवीन विचारों को उच्च प्राथमिकता के साथ अधिक अंक प्रदान किए जाएंगे।	**30**
(iii)	एजेंसी को पिछले 5 वित्तीय वर्षों में से किसी भी तीन वर्षों के दौरान भारत के बाहर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेलों में पवेलियन के डिज़ाइन, निर्माण-कार्य और रखरखाव से संबंधित इवेंट मैनेजमेंट बिजनेस से प्रति वर्ष न्यूनतम 3,00,00,000, (तीन करोड़) रुपये का टर्नओवर अर्जित करना होगा। टर्नओवर केवल आवेदक संगठन के नाम पर होगा, न कि समूह/सहयोगी संगठनों के नाम पर। अंकों का विवरण नीचे दिया गया है:	**5**

	क. 3-5 करोड़ रु.	3 अंक	
	ख. 5 करोड़ रु. से अधिक	5 अंक	
(iv)	एजेंसी ने पिछले 5 वर्षों के दौरान भारत के बाहर कम से कम तीन अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम आयोजित किए हों, जिनमें पवेलियन की डिज़ाइन, निर्माण-कार्य और रखरखाव की आवश्यकता हो, तथा जिनका आयोजन टर्नकी आधार पर किया गया हो जिसमें, (क) प्रत्येक इवेंट्स के लिए पवेलियन का क्षेत्रफल 100 वर्ग मीटर से कम न हो, और (ख) ऐसे प्रत्येक इवेंट का वित्तीय मूल्य 20.00 लाख रुपये (बीस लाख रुपये) प्रति इवेंट से कम न हो।		**5**
	अंकों का विवरण नीचे दिया गया है:		
	क. 3-5 इवेंट	3 अंक	
	ख. 5 से अधिक इवेंट	5 अंक	

8.4 सभी प्रस्तुतियों पर अंकन किया जाएगा। तकनीकी प्रस्तुतियों में न्यूनतम 70% अंक (70 में से 49 अंक) प्राप्त करने वाले बोलीदाताओं को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा और केवल उनकी वित्तीय बोलियाँ ही खोली जाएंगी। वित्तीय बोली अधिकतम 30 अंकों की होगी।

8.5 चयन गुणवत्ता और लागत आधारित चयन (क्यूसीबीएस) पद्धति पर किया जाएगा। चयन गुणवत्ता और लागत आधारित चयन (क्यूसीबीएस) पद्धति के तहत वित्तीय बोलियों पर अंकन निम्नलिखित मानदंडों के अनुसार होगा: एल1 = 30 अंक एल2 = 30 X एल1 (एल1 द्वारा कोट की गई लागत)/एल2 (एल2 द्वारा कोट की गई लागत) और एल3, एल4 आदि के समान (पक्षों की संख्या के आधार पर) ।

8.6 वित्तीय बोलियों पर अंकों की गणना के बाद, तकनीकी प्रस्तुति और वित्तीय बोलियों के अंकों को जोड़ा जाएगा और उच्चतम कुल अंक प्राप्त करने वाले बोलीदाता का चयन किया जाएगा।

8.7 चयन समिति अनुबंध/आदेश दिए जाने से पहले बिना कोई कारण बताए और एपीडा पर कोई दायित्व डाले बिना किसी भी समय घोषणा वापस लेने, किसी भी या सभी बोलियों को स्वीकार या अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित रखती है। एपीडा कीमतों को कम करने या अधिक सुविधाएँ जोड़ने के लिए चयनित एजेंसियों के साथ कीमतों पर बातचीत करने का अधिकार भी सुरक्षित रखता है।

9. **अपरिहार्य घटना:**

यदि किसी भी समय, इस अनुबंध की निरंतरता के दौरान, किसी भी पक्ष द्वारा, इसके तहत किसी भी दायित्व के पूर्ण या आंशिक रूप से कार्य-निष्पादन, शत्रुता, या विरोध द्वारा, सार्वजनिक शत्रु के कार्य, नागरिक हंगामा, तोड़फोड़, राज्य या सांविधिक प्राधिकरण से निर्देश, विस्फोट, महामारी, संगरोध प्रतिबंध, हड़ताल और तालाबंदी (जैसा कि ठेकेदार के प्रतिष्ठानों और सुविधाओं तक सीमित नहीं है), आग, बाढ़, प्राकृतिक आपदाएं (इसके बाद घटना के रूप में संदर्भित), बशर्ते कि ऐसी किसी भी घटना के होने की सूचना उसके घटित होने की तारीख से 15 कैलेंडर दिनों के भीतर प्रभावित पक्ष द्वारा दूसरे को दी जाती है, इस तरह की घटना के कारण कोई भी पक्ष इस अनुबंध को समाप्त करने का हकदार नहीं होगा, और न ही किसी भी पक्ष के पास इस प्रकार के गैर-निष्पादन या निष्पादन में देरी के संबंध में अन्य के विरुद्ध हानि के लिए ऐसा कोई दावा होगा, बशर्ते अनुबंध व्यावहारिक रूप से, ऐसी घटना के समाप्त होने के बाद जल्द से जल्द फिर से शुरू हो जाए। अध्यक्ष, एपीडा का निर्णय कि क्या सेवा को फिर से शुरू किया जा सकता है (और समय सीमा जिसके भीतर सेवा फिर से शुरू की जा सकती है) अंतिम और निर्णायक होगा, बशर्ते कि यदि कार्य-निष्पादन पूर्ण या आंशिक रूप से इस अनुबंध के तहत दायित्व को 30 दिनों से अधिक की अवधि के लिए ऐसी किसी भी घटना के कारण रोका या विलंबित किया जाता है, कोई भी पक्ष अपने विकल्प पर अनुबंध को समाप्त कर सकता है।

10. **विवाचन:**

10.1 इससे उत्पन्न होने वाले विवाद के सभी मामले भारतीय कानून द्वारा अधिशासित होंगे और केवल नई दिल्ली में न्यायालय के अधिकार क्षेत्र के अधीन होंगे।

10.2 दोनों पक्ष सुलह के माध्यम से किसी भी विवाद को सुलझाने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे।

10.3 किसी भी विवाद की स्थिति में दोनों पक्षों को सुलह प्रक्रिया के माध्यम से समाधान करने का हरसंभव प्रयास करना होगा।

10.4 इसके संबंध में अनसुलझे समझौते के तहत उत्पन्न होने वाले किसी भी प्रश्न, विवाद या मतभेद की स्थिति में (मामलों को छोड़कर, निर्णय जो विशेष रूप से इस समझौते के तहत प्रदान किया गया है) इसे भारतीय मध्यस्थतम और सुलह अधिनियम, 1996 के अनुसार अध्यक्ष, एपीडा द्वारा नियुक्त किए जाने वाले एकमात्र मध्यस्थता के लिए संदर्भित किया जाएगा और दिया गया निर्णय पार्टियों पर बाध्यकारी होगा।

10.5 भारतीय मध्यस्थतम और सुलह अधिनियम 1996 (समय-समय पर यथासंशोधित) के प्रावधान दोनों पक्षों पर लागू होंगे। मध्यस्थतम कार्यवाही का स्थान एपीडा कार्यालय या अध्यक्ष, एपीडा द्वारा निर्धारित किया गया कोई अन्य स्थान होगा।। पूर्वोक्त किसी भी संदर्भ पर, कार्य हेतु कार्यवाही में लागत और आकस्मिक खर्चों का आकलन अध्यक्ष, एपीडा के विवेक पर होगा।

10.6 मध्यस्थतम को देय शुल्क का भुगतान दोनों पक्षों द्वारा समान रूप से किया जाएगा। मध्यस्थतम कार्यवाही में प्रयुक्त भाषा अंग्रेजी होगी।

11. **क्षतिपूर्ति:**

एजेंसी किसी भी और सभी कार्यवाही, कार्रवाई, नुकसान, क्षति, व्यय, लागत और तीसरे पक्ष के दावों, चाहे वह वित्तीय हो या अन्यथा, जिसमें ईपीएफओ/ईएसआईसी/सरकारी विभागों/स्थानीय निकायों/सांविधिक प्राधिकरणों आदि को देय अंशदान का भुगतान शामिल है, जो एपीडा अनुबंध की अवधि के दौरान और उसके बाद अनुबंध की अवधि से संबंधित किसी भी समय, एजेंसी, उसके उप-ठेकेदारों, उप-एजेंटों, कर्मचारियों आदि द्वारा अनुबंध के तहत अपने किसी भी दायित्व के उल्लंघन के कारण बनाए रख सकता है, वहन कर सकता है, भुगत सकता है या उजागर हो सकता है, के विरुद्ध एपीडा और उसके अधिकारियों/कर्मचारियों की क्षतिपूर्ति करेगी, रक्षा करेगी और उन्हें हानिरहित रखेगी।

12. **बौद्धिक संपदा अधिकार:**

12.1 एपीडा के नाम/लोगो/आईपीआर के ऐसे किसी भी दुरुपयोग/गलत बयानी/अनधिकृत उपयोग के कारण एपीडा किसी तीसरे पक्ष को होने वाले किसी भी नुकसान या हानि के लिए जिम्मेदार नहीं होगा।

12.2 एजेंसी को, स्वयं अथवा अपने उप-एजेंटों/उप-ठेकेदारों/कर्मचारियों आदि द्वारा एपीडा के नाम/लोगो/आईपीआरएस के किसी भी दुरुपयोग/गलत बयानी/अनधिकृत उपयोग तथा/अथवा बौद्धिक संपदा अधिकारों के उल्लंघन से संबंधित किसी भी दावे (दावों) के विरुद्ध एपीडा की क्षतिपूर्ति करनी होगी।

12.3 एपीडा ऐसे उल्लंघनों के लिए आवश्यक कानूनी और अन्य उपचारात्मक कार्रवाई करेगा, जो उचित समझी जाएगी।

13. **अनुबंध आवंटन पर दायित्व:**

13.1 चयनित एजेंसी द्वारा अनुबंध मूल्य के पाँच प्रतिशत (5%) अथवा ₹ 5,00,000/- (रुपये पाँच लाख मात्र), जो भी अधिक हो, के बराबर कार्य-निष्पादन प्रतिभूति जमा (परफॉर्मेंस सिक्योरिटी) जमा किया जाना अनिवार्य होगा। अतः चयनित एजेंसी से प्राप्त ₹ 5,00,000/- (रुपये पाँच लाख मात्र) की ईएमडी राशि को कार्य-निष्पादन प्रतिभूति के रूप में समायोजित किया जाएगा। यदि अनुबंध मूल्य का 5% ₹ 5,00,000/- (रुपये पाँच लाख) से अधिक होता है, तो चयनित एजेंसी को

₹ 5,00,000/- (रुपये पाँच लाख) से अधिक की अतिरिक्त राशि कार्यादेश जारी होने की तिथि से तीन कार्यदिवसों के भीतर डिमांड ड्राफ्ट (डीडी) के माध्यम से जमा करनी होगी। उपर्युक्त दोनों राशियों को संयुक्त रूप से कार्य-निष्पादन प्रतिभूति जमा माना जाएगा।

13.2 कार्य-निष्पादन प्रतिभूति की संपूर्ण राशि, समस्त अनुबंधीय दायित्वों के पूरा होने के पश्चात वापस कर दी जाएगी।

14.1 भुगतान की शर्तें:

14.1.1 अनुबंध मूल्य के 30% तक का अग्रिम भुगतान, एजेंसी द्वारा किए गए व्यय का प्रमाण प्रस्तुत करने अथवा कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एपीडा) के पक्ष में समान राशि की बैंक गारंटी जमा करने के साथ लिखित अनुरोध करने पर स्वीकार्य होगा। अग्रिम भुगतान का समायोजन अंतिम भुगतान के समय किया जाएगा।

14.1.2 खंड 13.1 में उल्लिखित कार्य-निष्पादन प्रतिभूति दायित्व की पूर्ति सुनिश्चित होने के पश्चात ही अग्रिम भुगतान जारी किया जाएगा।

14.1.3 इवेंट के लिए प्रतिनियुक्त अधिकारी की संतोषजनक रिपोर्ट प्राप्त होने के अनुसरण में कार्यक्रम के पूरा होने पर शेष राशि जारी की जाएगी।

14.1.4 भुगतान केवल कार्यक्षेत्र के अनुसार साइट पर किए गए वास्तविक कार्य के लिए जारी किया जाएगा जो आवश्यकता के अनुसार बढ़ या घट सकता है।

14.2 अंतिम भुगतान करने हेतु पूर्व शर्तें

14.2.1 एजेंसी को पवेलियन के अंतिम डिज़ाइन, पैनल/पोस्टर (सीडीआर प्रारूप में), प्रदर्शक निर्देशिका की सॉफ्ट कॉपी, एपीडा के लिए तैयार इवेंट रिपोर्ट (पीडीएफ प्रारूप) की सॉफ्ट कॉपी इवेंट पूरा होने के 10 दिनों के भीतर जमा करनी होगी। इवेंट रिपोर्ट की 2 हार्ड कॉपी भी जमा करनी होगी। इसे एपीडा की संपत्ति माना जाएगा।

14.2.2 खंड 5.5.4 तथा 5.5.5 में वर्णित प्रावधानों के अनुरूप एपीडा पवेलियन की उच्च रिजल्यूशन वाली स्टिल फोटोग्राफी एवं वीडियो।

14.2.3 भुगतान के समर्थन में बैंक स्टेटमेंट के साथ पवेलियन एरिया के लिए बिजली बिल प्रस्तुत करना।

14.2.4 प्रदर्शनी स्थल पर इवेंट की देखरेख के लिए नियुक्त एपीडा अधिकारी की संतोषजनक प्रदर्शन रिपोर्ट।

14.2.5 यह पुनः स्पष्ट किया जाता है कि अतिरिक्त गतिविधियों के लिए एपीडा द्वारा अनुमोदित लागत को छोड़कर, किसी भी अतिरिक्त लागत पर विचार नहीं किया जाएगा।

15. कार्य-निष्पादकता आश्वासन/जुर्माना:

यदि एजेंसी की कार्य-निष्पादकता कसौटी पर खरा नहीं उतरता है या किसी भी प्रकार की कमी रह जाती है/कार्य–क्षेत्र में औसत दर्जे से कम आउटपुट दिया जाता है तो अंतिम भुगतान के समय एपीडा द्वारा कुल बोली मूल्य का एक हिस्सा नहीं दिया जाएगा। इस संबंध में एपीडा का निर्णय अंतिम होगा।

16. तकनीकी और वित्तीय बोलियाँ जमा करने के लिए दिशानिर्देश:

16.1 सशर्त बोलियाँ स्वीकार्य नहीं हैं और उन्हें सरसरी तौर पर अस्वीकार कर दिया जाएगा।

16.2 तथ्यों का गलत प्रस्तुतीकरण/बोली वापस लेने पर ईएमडी जब्त कर ली जाएगी।

16.3 बोलीदाताओं को बोली दस्तावेजों की तैयारी और एपीडा को प्रस्तुत करने से जुड़ी लागत वहन करनी होगी।

16.4 बोली दस्तावेज के प्रत्येक पृष्ठ पर एपीडा को प्रस्तुत करने से पहले अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता द्वारा हस्ताक्षर किए जाएं। हस्ताक्षरकर्ता के पक्ष में प्राधिकरण पत्र अनुलग्नक-1 के साथ संलग्न किया जाए।

16.5 सभी लिफाफों पर बोलीदाता एजेंसी का नाम स्पष्ट रूप से लिखा हो, साथ ही लिफाफों पर पूरा पता, टेलीफोन नंबर और ईमेल भी लिखा हो।

16.6 प्रस्तुत बोली में किसी भी प्रकार का संशोधन या प्रतिस्थापन नहीं किया जाएगा। कोई भी आवेदक आवेदन जमा करने के बाद अपना आवेदन वापस ले सकता है, बशर्ते कि आवेदन जमा करने की समय सीमा समाप्त होने से पहले एपीडा को आवेदन वापसी की लिखित सूचना प्राप्त हो। यदि कोई आवेदक अपना आवेदन पुनः जमा करना चाहता है, तो उसे निर्धारित तिथि तक सभी लागू शर्तों का पालन करते हुए नया आवेदन जमा करना होगा।

16.7 आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि के बाद प्राप्त बोलियों पर किसी भी परिस्थिति में विचार नहीं किया जाएगा या उन्हें खोला नहीं जाएगा। ईमेल के माध्यम से प्राप्त बोलियों पर भी विचार नहीं किया जाएगा।

16.8 विधिवत पूर्ण बोलियाँ निम्नलिखित प्रक्रिया के अनुसार चार लिफाफों में प्रस्तुत की जाएंगी:

लिफाफा I: इस लिफाफे में निम्नलिखित दस्तावेज होंगे:

(i) आवेदन सह प्रसंस्करण शुल्क के रूप में नई दिल्ली में देय एपीडा के पक्ष में जीएसटी सहित 17,700/- रुपये (सत्रह हजार सात सौ मात्र) का डिमांड ड्राफ्ट।

(ii) ब्याज मुक्त बयाना राशि जमा (ईएमडी) के रूप में नई दिल्ली में देय एपीडा के पक्ष में 5,00,000/- रुपये (पाँच लाख रुपये मात्र) का डिमांड ड्राफ्ट।

लिफाफा मुहरबंद होना चाहिए और उस पर "प्रोवाइन 2026 के लिए आवेदन-सह-प्रसंस्करण शुल्क और ईएमडी" अंकित हो।

लिफाफा-II: इस लिफाफे में निम्नलिखित दस्तावेज होंगे:

(i) अनुलग्नक - 1 (विधिवत भरा हुआ) और इसके साथ संलग्न सहायक दस्तावेज।
(ii) अनुलग्नक - 2 (सीए प्रमाणपत्र)
(iii) अनुलग्नक - 3 (ब्लैकलिस्ट न होने का घोषणा-पत्र)

लिफाफा मुहरबंद होना चाहिए तथा इसके ऊपर **"प्रोवाइन 2026" में इंडिया पवेलियन के डिज़ाइन, निर्माण-कार्य एवं रखरखाव के लिए तकनीकी बोली** स्पष्ट रूप से अंकित किया जाना चाहिए।

लिफाफा III: इस लिफाफे में होगा

(i) अनुलग्नक 4 (वित्तीय बोली) ।
(ii) अनुलग्नक 5 (वैकल्पिक मदों के लिए कोटेशन)

लिफाफा मुहरबंद होना चाहिए तथा इसके ऊपर **"प्रोवाइन 2026 में इंडिया पवेलियन के डिज़ाइन, निर्माण-कार्य और रखरखाव हेतु वित्तीय बोली"** अंकित होना चाहिए।

लिफाफा IV: मास्टर लिफाफा: लिफाफा I, II और III को लिफाफा-IV के भीतर रखा जाना चाहिए और उसे पुनः मुहरबंद किया जाना चाहिए। इस मास्टर लिफाफे के ऊपर निम्नलिखित विवरण अंकित होना चाहिए:
"“प्रोवाइन 2026" में इंडिया पवेलियन के डिज़ाइन, निर्माण-कार्य एवं रखरखाव हेतु बोली" तथा इसे निम्नलिखित पते पर जमा

किया जाए:
सचिव
कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एपीडा)
तीसरी-चौथी मंजिल,
एनसीयूआई बिल्डिंग, अगस्त
क्रांति मार्ग,
नई दिल्ली - 110016

किसी भी स्पष्टीकरण/अतिरिक्त जानकारी के लिए, कृपया संपर्क करें:
श्रीमती मीना सिंह, सहायक महाप्रबंधक
कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एपीडा)
तीसरी मंजिल, एनसीयूआई भवन,
अगस्त क्रांति मार्ग, नई दिल्ली - 110016
मेल: meenasingh@apeda.gov.in

बोली-पूर्व बैठक 04.02.2026 को दोपहर 15:00 बजे एपीडा, नई दिल्ली के सम्मेलन कक्ष में आयोजित की जाएगी।

विधिवत पूर्ण की गई बोलियां जमा करने की अंतिम तिथि 12.02.2026 को 15:00 बजे तक है।

Annexure-1

Technical Bid For Design, Construction & Maintenance of India Pavilion at "Prowein 2026"

Details of Bidder Agency

S. No.	Particulars	Details		Page no.
1	Name of Agency and Address			
2	Address as per GST Registration (also attach documents)			
3	Name, designation and contact details of authorized signatory including email id and mobile/ telephone no. (Please attach Authorisation Letter)			
4	Details of Registration /AOA & MOA (Please Attach copy)			
5	GST Certificate of Bidder Agency (Please Attach copy)			
6	Pan Card of Bidder Agency (Please Attach copy)			
7	Detailed Profile of the Agency including the staff strength on payroll			
8	**Turnover Details** (Minimum turnover Rs. 3,00,00,000/-) (Three Crores) per year (from business related to design, construction and maintenance of Pavilions for international Trade Fairs held outside India during any of the three years during the last 5 years) The turnover shall be in the name of applicant organization only and not that of group/ sister organizations. (please attach Annex. 2)	**Year**	**Turnover**	
		2020-21		
		2021-22		
		2022-23		
		2023-24		
		2024-25		
9	**Experience Details** (Please attach copies of Work Orders for Design Construction and Maintenance of the pavilions on turnkey basis during the last 5 years, held outside India, where (a) The area of the pavilion should not have been less than 100 sq. mtrs for each event, and (b) The financial value of such event should not be less than Rs. 20.00 Lakh per event.	**Year**	**Work Orders**	
		2020-21		
		2021-22		
		2022-23		
		2023-24		
		2024-25		

10	Details of Demand Draft for Non- Refundable Application cum Processing Fee of Rs. 17,700/- (Rupees Seventeen Thousand Seven Hundred)		
11	Details of Demand Draft for Interest-free Earnest Money Deposit "EMD" for Rs.5,00,000/- (Rupees Five Lakh) / irrevocable and unconditional bank guarantee in favour of APEDA, New Delhi.		
12	Self-certified copy of Certificate of MSME registered agency issued by respective authority. (Please Attach a copy)		
13	Self-Declaration that the agency has not been blacklisted by any Government office/ PSU/ any other Government organization and the same is not applicable as on date. (Please Attach duly filled in Annexure-5)		

Declaration

I hereby declare and confirm that all the information provided above is true and nothing has been concealed.
I agree to abide by the terms and conditions mentioned in this document.
I understand that if at any time, I am found to have concealed/distorted any material information or done any act or omission against the interest of APEDA, my contract shall be summarily terminated without any notice to me.

Signature of Authorised
Signatory

(Name and Designation)
Company Seal

Date:
Place
:
E-mail ID:
Tel. No.:
Mobile No.:

Annexure-2

C. A. Certificate

I /We, Proprietor / Partner / Director of ________________(Name of CA Firm) do hereby confirm that M/s. (Bidder), a Proprietorship / Partnership / Company having its registered office at …………………………….., having PAN …………………..and GST No. … … … … … … which is valid from_(copy attached) and hereby declare and affirm as under:

(1) That the business entity is in existence in the present status from (date).

(2) That the details of the turnover from **International Events Executed Outside India** (on the basis of the financial statements of the entity) are as follows:

S. No.	Financial Year	No. of events executed Outside India	Name of the Event, Place and Country	Name of Hosting Organization	Turnover (in Rs.)
1	**2020-21**				
2	**2021-22**				
3	**2022-23**				
4	**2023-24**				
5	**2024-25**				

(3) That the above work was obtained in the entity's own name and the billing /payment was collected in the entity's own bank account.

Declaration

I have independently verified the above-mentioned details with books of accounts, 26AS statements, GST Returns and found them to be true and correct.

Counter-signed:

Signature of Authorised Signatory

Name & Designation Partner/ Proprietor/ Director **Company Seal**

Signature:

Name & Designation

UDIN

Seal of CA Firm

ANNEXURE-3

(To be provided on the Letter Head of the Agency)

BID FOR DESIGN, CONSTRUCTION AND MAINTENANCE OF "INDIA PAVILION" at "Prowein 2026" SCHEDULED TO BE HELD FROM 15th-17th March 2026 in Dusseldorf, Germany.

To
The Secretary,
APEDA,
New Delhi-110016

Subject: Declaration for not being Blacklisted

Sir,

With reference to the bid on the subject cited above, I, …… (Name and designation of the Signatory) hereby declare and confirm that M/s. … (Name of the Agency) has not been black- listed or declared as ineligible by the Central Government/ State Government / Public Sector Undertaking from participating in future bids due to unsatisfactory performance, corrupt, fraudulent or any unethical business practices or any other reasons, as on the date of submission of the bid.

Signature of Authorized
Signatory

Name and Designation

Company Seal

Annexure-4

FINANCIAL BID FOR DESIGN, CONSTRUCTION AND MAINTENANCE OF "INDIA PAVILION" at "PROWEIN 2026" SCHEDULED TO BE HELD FROM 15th-17th March 2026 in Dusseldorf, Germany.

M/s. (Name of the firm) offer to complete the work assigned as per terms & conditions provided in para 5 to 7 of the bid notice dated…., as per following details:

Sr. No.	**Activity/ Component**	**Amount in Rs.**
1	Designing, Construction and Furnishing of **Theme/ Common Area** as per plan submitted covering details mentioned in clause **5.2 of bid**	
2	Designing, Construction and Furnishing of Exhibitor Stalls as per plan submitted covering details mentioned in clause 5.3 of bid	
3	Activities for Wet Sampling Area as per clause 5.4 of bid	
4	Activities for Branding Bharat as per clause 5.5 of bid	
5	Other activities as per clause 5.6, 5.7, 5.8 and 5.9 of bid	
6	Sub-Total of (1) to (5) above	
7	Amount of Applicable taxes	
8	Total Amount (with taxes)	

Total Amount in words: Rupees ….

I undertake that no additional cost shall be claimed, unless specific prior approval through written email in this regard is conveyed from the office of the Chairman APEDA.

Signature of
Authorized Signatory

Date: -
Place: -

Annexure –5

BID FOR DESIGN, CONSTRUCTION AND MAINTENANCE OF "INDIA PAVILION" at "PROWEIN 2026" SCHEDULED TO BE HELD FROM 15th-17th March 2026 in Dusseldorf, Germany.

Quotation for Optional Items if Required by Exporter

(Note: - This quotation is not part of the Financial Bid.)

S. No	Item	Unit	Price in Rs.
1.	Shelves	Per unit	
2.	Showcase (Glass Counter)	Per unit	
3.	Table	Per unit	
4.	Chair	Per unit	
5.	Spotlights	Per unit	
6.	Lockable Counter	Per unit	
7.	Refrigerator	Per unit	
8.	Microwave	Per unit	
9.	Hot case	Per unit	
10.	LED with stand (minimum 50 inch)	Per unit	
11.	Magazine Rack	Per unit	
12.	Center Table	Per unit	
13.	Sofa with (3-Seater)	Per unit	
14.	Sofa with (2-Seater)	Per unit	

Date: **Signature of Authorized Representative**

Place: **Name and Designation**

Company Seal